

2021

44

18/1

20/5/21

22/7/21

5/10/21

15/3/22

21/6/22

सरवर्क

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बनेड़ा

किसम मुकदमा	मुकदमा नं. एवं वर्ष	तारीख दायर	ग्राम का नाम	तारीख फैसल	नं. फैसल	तारीख फैसल
पा०पत्र	16 2021	12/1/21	झालविया कंठा	फैसल 5/ 20/22		

अनवान


श्री सैरु पिता लुवा-वभार
निवासी झालविया कंठा वर्ग 0

वनाम श्री

ब्रामचंद्र पिता लुवा-वभार
निवासी झालविया कंठा वर्ग 0

निगराकार / प्रार्थी / अपी.

अप्रार्थी / रक्षी.

तारीख हुक्म 16 / 2021	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	<p>पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान फोलोअप केम्प के तहत केम्प कोर्ट सरदारनगर पर पेश हुई। प्रकरण को अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा ग्राम सालरियाकलां जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 तक की संलग्न की गयी है। प्रकरण मूल रूप से पत्थरगढी/सीमांकन से संबंधित होने से किसी अन्य खातेदारान/पडौसियान के हक अधिकार प्रभावित नहीं होते है न ही किसी प्रकार के हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी बाबत वर्णित तथ्यों से मेरा समाधान हो जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं। आराजी नम्बर 1866/2 रकबा 7 बीस्वा किस्म क्रमशः गेमु पाल होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली करवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी अंशुल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 16 / 2021 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

- 1- भैरू पिता भुरा चमार निवासी सालरिया
- 2- तेजु पिता भुरा चमार निवासी सालरिया
- 3- सुखा पिता भुरा चमार निवासी सालरिया

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1-2 रामचन्द्र, रामेश्वर पिता अर्जुन गुजर निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 3- लादी पत्नी अर्जुन गुजर निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 4- हीरा पिता नन्दा गुजर निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 5- सुखा पिता भुरा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 6-7 दुदा, लादु पिता घीसा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 8-9 जमना, माधु पिता उगमा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 10- दाखी पत्नी उगमा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 11- रामलाल पिता उगमा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 12- बाली पत्नी उगमा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 13- नाराणी पत्नी उदा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 14-15 बाबु लाल, बालु पिता उदा बैरवा निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 16- गोपाल पिता लादु गुजर निवासी सालरिया तहसील बनेड़ा
- 17- तहसीलदार बनेड़ा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :- 20/05/2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सालरियाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1865/2 रकबा 2 बीघा 1866/2 7 बिस्वा, 1868 रकबा 12 बिस्वा, 1872 1 बीघा 1 बिस्वा, 1873 रकबा 10 बिस्वा कुल कित्ता 5 रकबा 4-12 बीघा के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम सालरियाकलां तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 1865/2 रकबा 2 बीघा 1866/2 7 बिस्वा, 1868 रकबा 12 बिस्वा, 1872 1 बीघा 1 बिस्वा, 1873 रकबा 10 बिस्वा कुल कित्ता 5 रकबा 4-12 बीघा

भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर संयुक्त खातेदारी है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत आंकिश स्वीकार किया जाकर मौजा सालरियाकलां में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् में से आराजी नम्बर 1866/2 रकबा 7 बीस्वा किस्म क्रमशः गेमु पाल होने से उक्त आराजियात् को छोड़कर शेष आराजी किता 4 रकबा 4-5 बीघा भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः तहसीलदार बनेड़ा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति पश्चात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट मुख्यालय सरदारनगर पर सुनाया गया।

(अंशुल सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

तहसीलदार बनेड़ा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान को नोटिस तामिल करा उनकी मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा